# संशोधित निर्णय

## न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या – 165/2009

वादीगण –

1. गोकीया पुत्र सवाराम जाति राजपुरोहित
2. भैरूसिंह गोदपुत्र भीमा जाति राजपुरोहित
3. गवरीदेवी बेवा भीमा जाति राजपुरोहित
4. शान्तीदेवी पुत्री भीमा जाति राजपुरोहित
5. मोहन पुत्री भीमा जाति राजपुरोहित
6. सांवलसिंह पुत्र लच्छाजी जाति राजपुरोहित
7. भंवरलाल पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
8. उतमाराम पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
9. नरपतराम पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
10. पारसराम पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
11. डूंगाराम पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
12. पहाडसिंह पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
13. महेन्द्रसिंह पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
14. पानीदेवी पत्नी पदमाजी जाति राजपुरोहित निवासीगण सिरियादेवीनगर, कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।

**बनाम**

प्रतिवादीगण –

1. पूंजा पुत्र बादर जाति राजपुरोहित
2. नारणा पुत्र बादर जाति राजपुरोहित
3. मूलसिंह पुत्र हरीराम जाति राजपुरोहित
4. भोपसिंह पुत्र हरीराम जाति राजपुरोहित
5. भंवरसिंह उर्फ उमरराम पुत्र हरीराम जाति राजपुरोहित
6. श्रीमति धापू बेवा हरीराम जाति राजपुरोहित
7. श्रीमति सुआदेवी बेवा गिरधारी जाति राजपुरोहित निवासीगण मिठौडा तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
8. श्रीमति सुबटी पुत्री गिरधारी पत्नी छोगाजी जाति राजपुरोहित निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 18:16:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

9. श्रीमति लीला पुत्री गिरधारी पत्नी मूलजी जाति राजपुरोहित निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
10. श्रीमति सखी पुत्री गिरधारी पत्नी जसराज जाति राजपुरोहित निवासी रायथल तहसील आहोर जिला जालोर राज.।
11. फुआ पुत्र पन्ना जाति राजपुरोहित
12. नैना पुत्र पन्ना जाति राजपुरोहित निवासीगण सिरियादेवीनगर, कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
13. सीमाराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट निवासी खंरटिया तहसील गुडामालानी
14. हीराराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी सरली तहसील गुडामालानी
15. दुर्गा पुत्र जामता जाति राजपुरोहित
16. जोईता पुत्र जामता जाति राजपुरोहित निवासीयान सिरियादेवीनगर, कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
17. श्रीमान् भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

***दावा बाबत् अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम***

उपस्थित :–

1. वादीगण वकील श्री कैलाशपुरी
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित (एकपक्षीय)

:: निर्णय ::

दिनांक - 02.11.2021

यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वाद के तथ्य संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 1209 रकबा 131.05 बीघा सरहद मौजा चौधरियो की ढाणी, दाखां, खेत खसरा संख्या 08 रकबा 34.14 बीघा सरहद मौजा उण्डेलनगर मिठौडा, खेत खसरा संख्या 519 रकबा 36.07 बीघा सरहद मौजा सरियादेवीनगर कुण्डल व खेत खसरा संख्या 1110/412 रकबा 38.13 बीघा सरहद मौजा मिठौडा व खसरा संख्या 1109/412 रकबा 38.13 बीघा सरहद मौजा मिठौडा जो कि वादी के दादा स्व.श्री सिमरथा के कब्जा काश्त व खातेदारी की थी तथा इसके अलावा खसरा संख्या 504 रकबा 09.02 बीघा खसरा संख्या 521 रकबा 7.12 बीघा, खसरा संख्या 522 रकबा 10.07 बीघा कुल रकबा 27.01 बीघा सरहद मौजा सरियादेवीनगर कुण्डल जिसमें 3/4 हिस्सा सिमरथाजी का व 1/4 हिस्सा अचलाजी का था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Choudhary
Date: 2022.01.31 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी के दादा / परदादा सिमरथाजी के कब्जा, खातेदारी, हक स्वत्व की थी उनके देहान्त के बाद उक्त भूमि में वादी सिमरथाजी के वारिसान् का नाम दर्ज होना था मगर सिमरथा जी के बडे पुत्र चिमनाजी ही उक्त संयुक्त परिवार के लेन देन का सम्पूर्ण कार्य करते थे व स्व. श्री सिमरथाजी के देहान्त के बाद सिमरथाजी द्वारा निवर्सीयती रूप से छोडी गई उक्त पैतृक भूमि में उनके तीनो पुत्र चिमना, लच्छा, सवा के नाम ग्राम दाखां, मिठौडा व कुण्डल की भूमि बराबर – बराबर अंकित की जानी थी मगर राजस्व कर्मचारीयों से मिलावट कर चिमनाजी ने खेत खसरा संख्या 1209 रकबा 131.05 बीघा सरहद दाखां व खसरा संख्या 8 रकबा 34. 14 बीघा सरहद मिठौडा व खसरा संख्या 412 के नये खसरा संख्या 1110/412 रकबा 38.13 बीघा व खसरा संख्या 1109/412 रकबा 38.13 बीघा सरहद मौजा मिठौडा की भूमि अकेले के नाम से अंकित करवा दी तथा खसरा संख्या 519 रकबा 36.07 बीघा सरहद मौजा कुण्डल की भूमि में सिमरथाजी के तीनो पुत्रों का नाम बराबर – बराबर अंकित हुआ जिसमें भी गिरधारी व उनके वारिसान् का नाम हटा दिया। उस वक्त लच्छा व सवा दोनो नाबालिग थे जिनको अपने बडे भाई चिमनाजी पर भरोसा था, जबकि चिमनाजी के उक्त अपने दोनो भाईयों के साथ धोखा कर उनके हक हिस्से व स्वमित्व की भूमि अति अमूल्य व उपजाऊ भूमि अपने नाम अंकित करवा दी, जबकि सिमरथाजी के सम्पूर्ण भूमि पर तीनो पुत्रों का बराबर – बराबर कब्जा काश्त रहा। जब लच्छा व सवा को अपनी भूमि चिमनाजी के नाम अंकित होना का ज्ञान हुआ तो उनके द्वारा एतराज किया गया तो चिमनाजी ने आश्वासन दिया कि उक्त भूमि मेरे खरीदी हुई नहीं है हम तीनो भाईयो की पुश्तैनी है। जो नाम बाद में सही खातेदारी में अंकित करवा देगे। इसी दम्यान चिमनाजी का देहान्त हो गया। तत्पश्चात् चिमनाजी के वारिसान् की सार– संभाल करनी पडी। इस दौरान लच्छा व सवा का भी देहान्त हो गया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 द्वारा सिमरथाजी के खुदकाश्त की भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में कभी कोई उजर एतराज नहीं किया गया है मगर दिनांक 16.07.2009 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा खसरा संख्या 1209 सरहद [illegible] को वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि में सूड करते [illegible] की धमकी दी तब वादीगण द्वारा अन्य खेतो की भी [illegible] आया कि खसरा संख्या 1109/412 व 1110/412 की भूमि तो प्रतिवादी संख्या 3 व 14 को बेचान तक कर दी गई है व अन्य भूमि भी बेचान करने को आमादा है तथा खसरा संख्या 504, 521, 522 सरहद मौजा कुण्डल की भूमि में प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पिता का नाम पन्ना पुत्र भारमल का नाम गलत तौर से अंकित किया गया है जबकि पन्ना पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

भारमल या उनके वारिसान् का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है न है। आज दिन तक उक्त भूमि पर हम वादीगण का ही कब्जा काश्त है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 व 14 के द्वारा गलत तौर से खसरा संख्या 1110/412 व 1109/412 कागजी बेचान की आड में कब्जा करने को आमादा है इस स्थिति पर वादीगण द्वारा अपने हक हिस्से की घोषणा व बंटवाडा का वाद पत्र पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये।

प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल खारवाल ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाव प्रस्तुत किया तथा वादपत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुये उक्त भूमि के सम्बन्ध में कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का होना बताया तथा दावा खारिज करने की इस्तदुआ की तथा प्रतिवादी सं. 11 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष भंसाली ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनकी ओर से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तथा प्रतिवादी सं. 11 व 12 की ओर से लम्बे समय तक जवाब प्रस्तुत नही कीया गया न ही प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता न्यायालय में सुनावाई पर उपस्थित हुए जिस पर सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के सम्बन्ध में वादी स्वंय पी. डब्ल्यू 1 आसुसिंह, पी. डब्ल्यू 2 उतमसिंह तथा वादीगण के गवाहान् पी. डब्ल्यू 3 जुगताराम, पी. डब्ल्यू 4 बावुसिंह न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपने बयान कलमबद्ध करवाये तथा वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी संवत 2011–2014 प्रदर्श 01 व 02, जमाबन्दी संवत 2015–2018 प्रदर्श 03, वादग्रस्त खेत की सेटलमेंट खतोनी संवत 2012–2021 प्रदर्श 4, जमावन्दी संवत 2009–2013 प्रदर्श 05 व 06, चालु जमाबंदी संवत 2063–2066 प्रदर्श 7 से 10 तक प्रदर्शित करवाये।

वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई तथा न्यायालय द्वारा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व वादपत्र का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र व [illegible] व्यक्त किया कि खेत खसरा संख्या 1209 रकबा 131.05 बीघा सरहद मौजा [illegible] की ढाणी, दाखां, खेत खसरा संख्या 08 रकबा 34.14 बीघा सरहद मौजा [illegible]लनगर मिठौडा, खेत खसरा संख्या 519 रकबा 36.07 बीघा सरहद मौजा सरियादेवीनगर कुण्डल व खेत खसरा संख्या 1110/412 रकबा 38.13 बीघा सरहद मौजा मिठौडा व खसरा संख्या 1109/412 रकबा 38.13 बीघा सरहद मौजा मिठौडा जो कि हमारे दादा स्व.श्री सिमरथा के

कब्जा काश्त व खातेदारी की थी तथा इसके अलावा खसरा संख्या 504 रकबा 09.02 बीघा खसरा संख्या 521 रकबा 7.12 बीघा, खसरा संख्या 522 रकबा 10.07 बीघा कुल रकबा 27.01 बीघा सरहद मौजा सरियादेवीनगर कुण्डल जिसमें 3/4 हिस्सा सिमरथाजी का व 1/4 हिस्सा अचलाजी का था।

उक्त सम्पूर्ण भूमि हमारे दादा /परदादा सिमरथाजी के कब्जा, खातेदारी, हक स्वामित्व की थी उनके देहान्त के बाद उक्त भूमि में हम सिमरथाजी के वारिसान् का नाम दर्ज होना था मगर सिमरथा जी के बडे पुत्र चिमनाजी ही उक्त संयुक्त परिवार के लेन देन का सम्पूर्ण कार्य करते थे व स्व. श्री सिमरथाजी के देहान्त के बाद सिमरथाजी द्वारा निवर्सीयती रूप से छोडी गई उक्त पैतृक भूमि में उनके तीनो पुत्र चिमना, लच्छा, सवा के नाम ग्राम दाखां, मिठौडा व कुण्डल की भूमि बराबर – बराबर अंकित की जानी थी मगर राजस्व कर्मचारीयों से मिलावट कर चिमनाजी ने खेत खसरा संख्या 1209 रकबा 131.05 बीघा सरहद दाखां व खसरा संख्या 8 रकबा 34.14 बीघा सरहद मिठौडा व खसरा संख्या 412 के नये खसरा संख्या 1110/412 रकबा 38.13 बीघा व खसरा संख्या 1109/412 रकबा 38.13 बीघा सरहद मौजा मिठौडा की भूमि अकेले के नाम से अंकित करवा दी तथा खसरा संख्या 519 रकबा 36.07 बीघा सरहद मौजा कुण्डल की भूमि में सिमरथाजी के तीनो पुत्रों का नाम बराबर – बराबर अंकित हुआ जिसमें भी गिरधारी व उनके वारिसान् का नाम हटा दिया। उस वक्त लच्छा व सवा दोनो नाबालिग थे जिनको अपने बडे भाई चिमनाजी पर भरोसा था, जबकि चिमनाजी के उक्त अपने दोनो भाईयों के साथ धोखा कर उनके हक हिस्से व स्वत्व की भूमि अति अमूल्य व उपजाऊ भूमि अपने नाम अंकित करवा दी, जबकि सिमरथाजी के सम्पूर्ण भूमि पर तीनो पुत्रों का बराबर – बराबर कब्जा काश्त रहा। जब लच्छा व सवा को अपनी भूमि चिमनाजी के नाम अंकित होना का ज्ञान हुआ तो उनके द्वारा एतराज किया गया तो चिमनाजी ने आश्वासन दिया कि उक्त भूमि मेरे खरीदी हुई नहीं है हम तीनो भाईयो की पुश्तैनी है। जो नाम बाद में सही खातेदारी में अंकित करवा देगे। इसी दम्यान चिमनाजी का देहान्त हो गया। तत्पश्चात् चिमनाजी के वारिसान् की सार – संभाल करनी पडी। इस दौरान लच्छा व सवा का भी देहान्त हो गया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 द्वारा सिमरथाजी के खुदकाश्त की भूमि में वादीगण के कब्जा व काश्त की भूमि में कभी कोई उजर एतराज नहीं किया गया है मगर दिनांक 16.07.2009 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा खसरा संख्या 1209 सरहद मौजा चौधरियों की ढाणी दाखां को वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि में सूड करते वक्त मौके पर आकर बेचने की धमकी दी तब वादीगण द्वारा अन्य खेतो की भी नकले मांगी, तब ध्यान में आया कि खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

1109/412 व 1110/412 की भूमि तो प्रतिवादी संख्या 3 व 14 को बेचान तक कर दी गई है व अन्य भूमि भी बेचान करने को आमादा है तथा खसरा संख्या 504, 521, 522 सरहद मौजा कुण्डल की भूमि में प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पिता का नाम पन्ना पुत्र भारमल का नाम गलत तौर से अंकित किया गया है जबकि पन्ना पुत्र भारमल या उनके वारिसान् का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है न है। आज दिन तक उक्त भूमि पर हम वादीगण का ही कब्जा काश्त है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 व 14 के द्वारा गलत तौर से खसरा संख्या 1110/412 व 1109/412 कागजी बेचान की आड में कब्जा करने को आमादा है, तथा वादी स्वंय पी. डब्ल्यू 1 आसुसिंह, पी. डब्ल्यू 2 उतमसिंह तथा वादीगण के गवाहान् पी. डब्ल्यू 3 जुगताराम, पी. डब्ल्यू 4 बाबुसिंह द्वारा भी सशपथ बयान देकर वादीगण का कब्जा काश्त करने का कथन किया, जिससे किसी प्रकार की कोई जिरह नहीं की गई तथा प्रतिवादीगण ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, न हीं वादीगण व वादीगण के गवाहान से जिरह की गई। लिहाजा वादपत्र के तथ्यो को न मानने का कोई कारण नही हैं। वादीगण ने अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है तथा मौके पर वादीगण का कब्जा है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के अनुसार वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में सफल रहे है अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम उन्डेंल नगर मिठौडा के खेत खसरा संख्या 08 रकबा 34.14 बीघा, खेत खसरा संख्या 519 रकबा 36.07 बीघा सरहद मौजा सरियादेवीनगर कुण्डल में वादी सं 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 2 से 5 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 6 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 7 से 14 का 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं 3 से 6 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं 7 से 10 का 1/9 हिस्सा का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है। तथा सरहद मौजा सिरियादेवी नगर के खेत खसरा संख्या 521,522,504 कुल रकबा 27.01 बीघा में प्रतिवादी सं 11 व 12 का नाम हटाया जाकर वादी सं 1 का 1/8 हिस्सा, वादी सं 2 से 5 का 1/8 हिस्सा, वादी सं 6 का 1/8 हिस्सा, वादी सं 7 से 14 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं 3 से 6 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं 7 से 10 का 1/12 हिस्सा का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है। तथा सरहद मौजा मिठौडा के खेत खसरा सं 1110/412 रकबा 38.13 बीघा व खसरा संख्या 1109/412 रकबा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
S.D.O. सिवाना

38.13 बीघा भुमि में प्रतिवादी सं 13 व 14 के नाम की गई रजिस्ट्री को अवैद्ध अनुचित होने से शुन्य घोषित की जाती हैं तथा उक्त खसरा सं. 1110/412, 1109/412 में प्रतिवादी सं 13 व 14 का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी सं 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 2 से 5 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 6 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 7 से 14 का 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं 3 से 6 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं 7 से 10 का 1/9 हिस्सा का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता हैं बाद घोषणा, वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी, बाधा नहीं करे। तहसीलदार सिवाना वादीगण के नाम रेकर्ड में अमलदरामद किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय को भिजावे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना – अपना वहन करे।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 02.11.21 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

## संशोधित डिक्री

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ओ. 20 रू. 6 –7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'D' -1 )

# अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना (बाडमेर)

**पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.**

वादीगण –

1. गोकीया पुत्र सवाराम जाति राजपुरोहित
2. भैरूसिंह गोदपुत्र भीमा जाति राजपुरोहित
3. गवरीदेवी बेवा भीमा जाति राजपुरोहित
4. शान्तीदेवी पुत्री भीमा जाति राजपुरोहित
5. मोहन पुत्री भीमा जाति राजपुरोहित
6. सांवलसिंह पुत्र लच्छाजी जाति राजपुरोहित
7. भंवरलाल पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
8. उतमाराम पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
9. नरपतराम पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
10. पारसराम पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
11. डूंगाराम पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
12. पहाडसिंह पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
13. महेन्द्रसिंह पुत्र पदमाजी जाति राजपुरोहित
14. पानीदेवी पत्नी पदमाजी जाति राजपुरोहित निवासीगण सिरियादेवीनगर, कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।

**बनाम**

प्रतिवादीगण –

1. पूंजा पुत्र बादर जाति राजपुरोहित
2. नारणा पुत्र बादर जाति राजपुरोहित
3. मूलसिंह पुत्र हरीराम जाति राजपुरोहित
4. भोपसिंह पुत्र हरीराम जाति राजपुरोहित
5. भंवरसिंह उर्फ उमराराम पुत्र हरीराम जाति राजपुरोहित
6. श्रीमति धापू बेवा हरीराम जाति राजपुरोहित
7. श्रीमति सुआदेवी बेवा गिरधारी जाति राजपुरोहित निवासीगण मिठौडा तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
8. श्रीमति सुबटी पुत्री गिरधारी पत्नी छोगाजी जाति राजपुरोहित निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
9. श्रीमति लीला पुत्री गिरधारी पत्नी मूलजी जाति राजपुरोहित निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
10. श्रीमति सखी पुत्री गिरधारी पत्नी जसराज जाति राजपुरोहित निवासी रायथल तहसील आहोर जिला जालोर राज.।
11. फुआ पुत्र पन्ना जाति राजपुरोहित
12. नैना पुत्र पन्ना जाति राजपुरोहित निवासीयान सिरियादेवीनगर, कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
13. सीमाराम पुत्र टीकमराम जाति जाट निवासी खरटिया तहसील गुडामालानी
14. हीराराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी सरली तहसील गुडामालानी
15. दुर्गा पुत्र जामता जाति राजपुरोहित
16. जोईता पुत्र जामता जाति राजपुरोहित निवासीयान सिरियादेवीनगर, कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
17. श्रीमान् भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
S.D.O. सिवाना

**दावा बाबत् अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

राजस्व प्रकरण संख्या – 165/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण व हाजरी श्री कैलाशपुरी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम उन्डेल नगर मिठौडा के खेत खसरा संख्या 08 रकबा 34.14 बीघा, खेत खसरा संख्या 519 रकबा 36.07 बीघा सरहद मौजा सरियादेवीनगर कुण्डल में वादी सं 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 2 से 5 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 6 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 7 से 14 का 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं 3 से 6 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं 7 से 10 का 1/9 हिस्सा का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है। तथा सरहद मौजा सिरियादेवी नगर के खेत खसरा संख्या 521,522,504 कुल रकबा 27.01 बीघा में प्रतिवादी सं. 11 व 12 का नाम हटाया जाकर वादी सं 1 का 1/8 हिस्सा, वादी सं 2 से 5 का 1/8 हिस्सा, वादी सं 6 का 1/8 हिस्सा, वादी सं 7 से 14 का 1/8 हिस्सा, तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं 3 से 6 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं 7 से 10 का 1/12 हिस्सा का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है। तथा सरहद मौजा मिठौडा के खेत खसरा सं 1110/412 रकबा 38.13 बीघा व खसरा संख्या 1109/412 रकबा 38.13 बीघा भुमि में प्रतिवादी सं 13 व 14 के नाम की गई रजिस्ट्री को अवैद्ध अनुचित होने से शुन्य घोषित की जाती हैं तथा उक्त खसरा सं. 1110/412, 1109/412 में प्रतिवादी सं 13 व 14 का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी सं 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 2 से 5 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 6 का 1/6 हिस्सा, वादी सं 7 से 14 का 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं 3 से 6 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं 7 से 10 का 1/9 हिस्सा का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है, तथा बाद घोषणा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी, बाधा नहीं करे। तहसीलदार सिवाना वादीगण के नाम उपरोक्तानुसार रेकर्ड में अमलदरामद किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय को भिजावे। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.11.2021 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

क्रमांकः वाचक/2021/7296 दिनांक 02.11.2021
प्रतिलिपि – वास्ते पालनार्थ
भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना